ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर, जिला हमीरपुर की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 2/2005 से 3/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–TPT-F(1)-3/2000-e-Governance, दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, बड़सर जिला हमीरपुर की अवधि 2/05 से 3/14 की उपयोक्ता प्रभार निधियों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, इस विभाग के श्री अजीत सिंह (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 21.07.2014 से 14.08.2014 के दौरान बड़सर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2004–05	03/2005	–
2005–06	05/2005	–
2006–07	10/2006	05/2006
2007–08	08/2007	01/2008
2008–09	05/2008	12/2008
2009–10	02/2010	02/2010
2010–11	03/2011	03/2011
2011–12	01/2011	07/2011
2012–13	04/2012	02/2013
2013–14	03/2014	07/2013

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर, जिला हमीरपुर में निम्नलिखित अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर रहेः–

क्रमाँक	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री बी0एस0 देहल (HAS)	10.04.03 से 11.07.05
2	श्री विनोद कुमार (HAS)	11.07.05 से 17.11.05
3	श्री रोहित जसवाल (HAS)	18.11.05 से 03.02.06
4	श्री विनोद कुमार (HAS)	03.02.06 से 01.03.08
5	श्री सुखदेव सिंह (HAS)	03.03.08 से 22.05.10
6	श्री ओ0पी0 ठाकुर (HAS)	24.05.10 से 30.01.13
7	श्री अक्षय सूद (HAS)	30.01.13 से 21.02.14
8	Ms. सेनिया ठाकुर (HAS)	21.02.14 से 16.06.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	5	उपयोक्ता प्रभार निधियों से परिवहन विभाग के खाते में 25**%** भाग के रूप में राशि का कम जमा करवाया जाना	5.97
2	7	ई–गवर्नेन्स निधि से किए गए व्यय के समर्थन में बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	0.17
3	9	विभिन्न नियमों व अधिनियमों की पुस्तकें क्रय करने पर अनाधिकृत व्यय करना	0.06
4	10	बैंक खाते से आहरित की गई राशि के व्यय से सम्बन्धित विवरण का रोकड़ बही में न दर्शाया जाना तथा व्यय के साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.07

(घ) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, बड़सर जिला हमीरपुर की अवधि 2/05 से 3/14 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10800/– बनता है। उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 336 दिनांक 13.08.2014 जारी करके उप मण्डलीय अधिकारी (ना0) बड़सर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की उपयोक्ता प्रभार की निधियों की वित्तीय स्थिति अर्थात उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त राशियों एवं उसमें व्यय की गई राशि राशियों का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

4 रोकड़ बही व बैंक खातों का मासिक आधार पर मिलान न करने बारेः–

पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा अंकेक्षणाधीन के दौरान कभी भी रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बनाए गये निधि नियमों के अनुच्छेद 5 के नियम 6.4 में दिये गये प्रावधानानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का प्रत्येक माह में मिलान किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने एवं प्राप्त राशियों को अनुचित रूप से हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए। सोसाईटी की रोकड़ बही तथा बैंक के खातों की जाँच करने पर मुख्यतः निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि बैंक द्वारा खाता संख्या 7248 में ब्याज के रूप में **परिशिष्ट "ख 1"** में दिए गए विवरणानुसार ₹73436/– क्रेडिट की गई दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा बैंक खाता संख्या 8352 में ब्याज के रूप में **परिशिष्ट "ख 2"** के अनुसार ₹5264/– बैंक द्वारा क्रेडिट की गई दर्शाई गई थी। उक्त दोनों खातों में बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि को संस्था द्वारा रोकड़ बही में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या उक्त दोनों राशियों को सोसाईटी की अवधि 2/05 से 3/14 की वित्तीय स्थिति में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त में दिनाँक 3/14 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक के शेष में उक्त राशियों का कोई अन्तर नहीं दर्शाया गया है।

(ख) पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर के के0सी0सी0 बैंक खाता संख्या 7248 में उपयोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त राशियों में से ₹560/– दिनाँक 18.7.2009 को जमा करवाई गई जिसे बैंक द्वारा पास बुक में दर्ज तो किया है लेकिन योगों में शामिल नहीं किया है। अतः उपरोक्त बैंक से आवश्यक पत्राचार करके उक्त राशि के योगों में शामिल न करने बारे स्थिति स्पष्ट करवाई जाए क्योंकि उक्त त्रुटि को दूर करने पर बैंक समाधान विवरणी पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएें।

5 उपयोक्ता प्रभार निधि से परिवहन विभाग के खाते में 25% भाग के रूप में ₹597750/– का कम जमा करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 3.9.2005 के अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरणों द्वारा उपयोक्ता प्रभारों के रूप में प्राप्त राशि के 25% भाग को परिवहन

विभाग के खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि के रूप में कुल ₹2804355/– प्राप्त की गई जिसके 25**%** भाग के रूप में ₹701088/– परिवहन विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा केवल माह 6/2008 में उपयोक्ता प्रभारों के रूप में प्राप्त राशियों में से केवल ₹103338/– सरकारी कोष में जमा करवाई गई दर्शाई गई है। इस प्रकार सोसाईटी द्वारा परिवहन विभाग में ₹701088–₹103388=₹597750 कम जमा करवाई गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके उक्त राशि को तुरन्त परिवहन विभाग से जमा करवाया जाए तथा अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि उपयोक्ता प्रभार निधियों में प्राप्त राशियों का 25**%** परिवहन विभाग में यथा समय जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त जमा करवाई गई राशि के आंकलन से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात उपयोक्ता प्रभारों के रूप में प्राप्त किस अवधि की कितनी राशि में से उक्त राशि जमा करवाई गई है, अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा इससे सम्बन्धित चालान भी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप जमा करवाई गई राशि की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख पूर्ण विवरण सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

6 केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर में जमा करवाई जानी वाली राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर में जमा करवाई गई राशि के समर्थन में भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 ई–गवर्नेन्स निधि से किए गए ₹16909/– के व्यय के समर्थन में बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि से निम्नलिखित चैकों के माध्यम से किये गये भुगतान के समर्थन में कोई बिल/वाउचर अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही कृत व्यय से सन्दर्भित कोई टिप्पणी रोकड़ बही में दी गई है जिसके अभाव में निम्न वर्णित राशियों की उपयोगिता की सत्यापना नहीं की जा

सकी। अतः अनुपालनार्थ राय दी जाती है कि सम्बन्धित बिल/वाउचरों को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अथवा बिना बिल/वाउचरों के किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि उपयोक्ता प्रभार निधि खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

माह/वर्ष	**चैक संख्या**	**राशि**	**टिप्पणी**
1/2008	210708	6600	–कोई नहीं–
1/2008	210707	3280	–कोई नहीं–
1/2008	210706	4699	–कोई नहीं–
9/2009	366531	2330	रोकड़ बही के अनुसार इस राशि का भुगतान श्री सुखदेव सिंह उप–मण्डलाधिकारी (ना0) बड़सर को किया गया दर्शाया है।

8 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना एकल निविदा के आधार पर स्टोर/स्टॉक का क्रय करना तथा प्राप्त सामग्री का भण्डार में इन्द्राज न करने बारेः–

(क) उपयोक्ता प्रभार निधि से क्रय की गई सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में स्टोर/स्टॉक का क्रय करने से पूर्व नियमानुसार निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई थी जिसके अभाव में प्राधिकरण द्वारा खुले बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों की तुलना करके बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 के अन्तर्गत ₹3000/– से अधिक की खरीद हेतु निविदाऐं आमन्त्रित करना अपेक्षित थी। उक्त के अतिरिक्त क्रय की गई सामग्री का भण्डार इन्द्राज सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया गया है जोकि ई–गवर्नेन्स निधि नियमों में स्टोर/स्टॉक के रख–रखाव हेतु किये गये प्रावधान के विपरीत है। अतः नियमों की अनुपालना न करके स्टोर/स्टॉक का क्रय करने व उसका लेखाँकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा एकल निविदा के आधार पर स्टोर/स्टॉक का क्रय करने पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए एवं क्रय की गई सामग्री का भण्डार में इन्द्राज सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में करके उन की खपत का भी विवरण देकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अदायगी मास/ चैक सं0	फर्म का नाम	बिल सं0/ दिनाँक	क्रय की गई सामग्री	राशि	योग	टिप्पणी
02/10	मै0 चौहान ट्रेडरज, मेन बाजार –मैहरे जिला हमीरपुर	450/ 24.7.09	लेखन सामग्री		5697	–
02/10	–यथोपरि–	436/ 30.5.09	लेखन सामग्री		5354	–
03/11	–यथोपरि–	122/ 25.7.10	24 Part hub	2750		
			Lan Cable 98 Mtrs @ ₹15/M	1470		
			RJ 45 Conn. 4 @₹20	80	4300	–
03/11	–यथोपरि–	124/ 25.7.10	Elc. Cable 98 Mtrs @₹16/M	1568		
			Earth Cable 98 Mtrs @ ₹4/M	392		
			Optical Mouse	350	2310	
12/11	मै0 शर्मा स्टील मैटल इन्डस्ट्रीज, मैहरे जिला हमीरपुर	574/ 13.12.11	ऑफिस ऐलमिरा 77 ईंच	5000	5000	–
04/12	मै0 संजय डीजल, चर्च रोड कश्मीरी गेट दिल्ली	001/ 7.4.12	1 कन्डक्टर क्वायल 32 Amp.		1800	निविदा अपेक्षित नहीं है।
02/13	मै0 जुडवाल इन्को–कम्पयूटर हटली रोड बंगाणा जिला ऊना	462/ 4.2.13	Ethernet Switch with Patch Cable		1200	निविदा अपेक्षित नहीं है।
04/13	मै0 अजय इलैक्ट्रिकल एण्ड रेफ्रिजेरेटरज गारली चौक मैहरे जिला हमीरपुर	640/ 28.4.13	1 Fan 1 Exaust Fan 4 Regulators 2.5 AMP Sockets Article Not mentioned Article Not mentioned 4.48 Fan reverding 5 Tube Rod 5 Chowks 3.15 AMP Tap 4 Power Seat	1700 1400 640 60 300 600 2000 250 750 180 600	8480	
05/13	मै0 प्रीतम बैल्डिंग वर्कस मैहरे जिला हमीरपुर	414/ 28.5.13	1 No. Glass Table	2400	2400	निविदा अपेक्षित नही है
09/13	मै0 प्रतीक इन्टरप्राईजिज साईबर कैफे एण्ड स्टेशनरज मेन बाजार मैहरे जिला हमीरपुर	005/ 26.9.13	BSNL द्वारा स्थापित Landline Telephone Set के खराब होने पर नया सैट खरीदने हेतु		4300	
10/13	–यथोपरि–	006/ 8.10.13	1 No. TVS Dot Matrix Printer		7500	
		उक्त बिल संख्या 6 दिनांक 8.10.13 द्वारा भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित वाउचर को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान हेतु पारित नहीं किया था।				

(ख) इसके अतिरिक्त ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, बड़सर द्वारा मै0 इन्फोनेट कम्पयूटर सोल्युशन, मेन बाजार मैहरे जिला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 353 दिनाँक 31.7.2012 के अन्तर्गत खरीदे गये DCP-125 प्रिंटर हेतु माह 7/2012 में ₹10000/– का भुगतान निम्नविवरणानुसार दो चैकों द्वारा किया गया है परन्तु उक्त खरीद के लिए भी निवदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई। अतः नियमों के विपरीत खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किये गये भुगतान को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

पहली किस्त	चैक संख्या 498167	₹5000
दूसरी किस्त	चैक संख्या 499170	₹5000

9 विभिन्न नियमों व अधिनियमों की पुस्तकें क्रय करने पर ₹6319/– का अनाधिकृत व्यय करनाः–

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, बड़सर द्वारा मै0 मिनरेवा बुक हाऊस, दी माल, शिमला से उनके बिल संख्या 25576, 25577 व 25578 दिनाँक 22.3.2014 के अन्तर्गत उपयोक्ता प्रभार निधि से निम्न विवरणानुसार विभिन्न नियमों व अधिनियमों की पुस्तकों की खरीद हेतु माह 3/2014 में ₹6319/– का भुगतान किया गया जोकि ई–गवर्नैन्स निधि के नियमों के अनुच्छेद 5 के नियम 5 में दर्शाये गये उद्देश्यों के विपरीत है तथा यह व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः नियमों के विरूद्ध किये गये व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनाधिकृत रूप से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि उपयोक्ता प्रभार निधि के खाते में अविलम्ब जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान यह भी पाया कि उक्त वाउचर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। अतः बिल/वाउचर के भुगतान हेतु पारित न होने की अवस्था में बिल की अदायगी करने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

क्र0सं0	पुस्तक का नाम	कीमत
1	HP, TA Rules	375
2	HP Tenancy and Land Reform Rules	495
3	Court on Land Revenue	795
4	Hindu Marriage Act	30
5	Evidance Act	60

6	Public Premises Act	35
7	Limitation Act	35
8	Mines and Minerals Act	295
9	Mines Act	110
10	Maintenance and welfare of Parents	25
11	Hindu Succession Act	30
12	Special Marriage Act	30
13	Arms Act	110
14	Copy Right Act	125
15	Constitution of India	130
16	Local and Special Laws	220
17	Land Acquisition Act	75
18	Custody Act	299
19	C.C.S and CCA Rules	380
20	Swammy Hand Book	275
21	Leaves Rules	190
21	H.P. Office Mannual	175
22	Medical Attendance Rules	350
23	Pension Rules	370
24	FRSR Part-I	465
25	Conduct Rules	215
26	Land Record Mannual	250
27	Land Code	150
28	Handbook on Personal Matters	225
	योग	**₹6319**

10 बैंक खाते से आहरित की गई ₹7409/– के व्यय से सम्बन्धित विवरण का रोकड़ बही में न दर्शाया जाना तथा व्यय के साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

उपयोक्ता प्रभार निधि से सम्बन्धित के0सी0सी0बी0 बड़सर के खाता संख्या 7248 से निकाली गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 21.7. 2011 को ₹7409/– का आहरण चैक के माध्यम से न करके (With Drawal Form) आहरण प्रपत्र द्वारा किया गया तथा उक्त निकाली गई राशि के व्यय से सम्बन्धित विवरण भी रोकड़ बही में नहीं दिया गया था और न ही इस के व्यय के साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए। अतः ई–गवर्नेन्स निधि नियमों के अनुच्छेद 5 में वर्णित नियम 7.1 के अनुसार

भुगतान हेतु राशि का आहरण चैक के माध्यम से न करके आहरण प्रपत्र द्वारा करने तथा व्यय से सम्बन्धित विवरण रोकड़ बही व अन्य अभिलेख में न दर्शाने तथा व्यय के साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा व्यय के समर्थन में अपेक्षित बिल/वाऊचर व अन्य विवरण उपलब्ध न होने की अवस्था में निकाली गई सम्पूर्ण राशि को दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रोत से वसूल करके उपयोक्ता प्रभार निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई की अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

11 डाटा एन्ट्री आप्रेटर को मासिक वेतन के अलावा ₹3500/– का भुगतान अतिरिक्त कार्य करने के एवज में करने के बारे में:–

पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत्त श्रीमती सोनिका शर्मा को मासिक वेतन के अलावा निम्नविवरणानुसार ₹3500/– का भुगतान अतिरिक्त कार्य करने के एवज में किया गया है जिसे ई–गवर्नेन्स निधि के नियमों के नियम 8.3 में दिये गये प्रावधान के अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के प्रशासक/उपायुक्त हमीरपुर के अनुमोदनोपरान्त दिया जाना अपेक्षित था। अतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति न लेकर भुगतान करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा अतिरिक्त कार्य करने के सन्दर्भ में किए गए भुगतान को अब सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति ले कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

दिनाँक	चैक संख्या	भुगतान की गई राशि	अवधि जिस हेतु भुगतान किया गया
5.6.08	200681	1000	कोई विवरण नहीं दिया गया था
2/2010	336535	2500	दिनाँक 5.10.09 से 16.10.09 व 12.11.09 से 27.11.09
	योग	₹3500	

12 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बड़सर के असंचालित बैंक खाते संख्या के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि से सम्बन्धित मुख्य खाता संख्या 7248 जिस का नया खाता संख्या 20011043613 है, को संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा दूसरा खाता 8352 (20011051409) भी खोला गया था जो वर्ष 2009–10 से असंचालित पड़ा है तथा इस खाते में दिनाँक 31.3.2014 को ₹12473/– जमा पड़ी थी। अतः लम्बी अवधि से असंचालित खाते को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर द्वारा हस्तांतरित की गई तथा आर0एल0ए0 बड़सर द्वारा क्रय की गई स्टोर/स्टॉक सामग्री का लेखाँकन न करने बारेः–

(क) ई–गवर्नैन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर कार्यालय में केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त तथा आर0एल0ए0 बड़सर द्वारा स्वयं खरीदी गई लेखन सामग्री व अन्य उपकरणों एवं वस्तुओं के रख–रखाव के लिए स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का सही लेखाँकन नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर द्वारा पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण बड़सर को जारी स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 331 दिनाँक 5.8.2014 द्वारा उप–मण्डलाधिकारी (ना0) से अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण प्राप्त स्टोर/स्टॉक के सही लेखाँकन व उपयोग करने की पुष्टि व सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त स्टोर/स्टॉक सामग्री तथा आर0एल0ए0 बड़सर द्वारा स्वयं क्रय की गई सामग्री के लेखाँकन हेतु लेखन सामग्री व उपकरणों के रख रखाव हेतु अलग–2 रजिस्टरों पर मदवार अलग–2 पृष्ठों पर प्रविष्टियाँ करके तथा उनके उपयोग का विस्तृत विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) बड़सर को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बड़सर से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 2/2005 से 3/2014 के दौरान ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई व केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त स्टोर/स्टॉक मदों का हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जो वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित था। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर कृत कार्रवाई से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

16 **निष्कर्षः–** निधि लेखाओं के रख–रखाव व आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii) 17/2014 खण्ड–1–463–467 दिनांक, 22.01.15
शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) बड़सर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश हमीरपुर जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.